

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं० — एम० 28/2022-23

वाद की प्रकृति :- धारा — 107, द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी —बनाम— सर्वजीत सिंह वगै० एवं जयनंदन सिंह वगै०

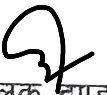
आ दे श

पुलिस निरीक्षक—सह—थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के डुमरी थाना अप्राथमिकी सं० — 22/2022, दिनांक — 19.09.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा — 107 के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय 1. श्री सर्वजीत सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, 2. ललित सिंह, पिता स्व० उदयनाथ सिंह एवं 3. जयनंदन सिंह, पिता स्व० महेश सिंह 4. राजकिशोर सिंह, पिता स्व० महेश सिंह, 5. रमेश सिंह पिता स्व० शिवा सिंह, 6. दिनेश सिंह, पिता स्व० शिवा सिंह, 7. गोरखनाथ सिंह, पिता सुखदेव सिंह सभी ग्राम बंदुआ, थाना डुमरी, जिला गुमला को जमीन को लेकर हमेशा झगड़ा—झंझट एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा विधि—व्यवस्था भंग होने की सूचना नहीं दी गई है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा — 107 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही बिना गुण—दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)